



☎ 0141-2227052

राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(ग्रामीण विकास अनुभाग-6)

✉ pdsap-rd-rj@gov.in

Website: rdprd.gov.in

क्रमांक प. 14(52)ग्रा.वि./ग्रुप 6/विविध/2018-19/पार्ट-1/3032-98

जयपुर, दिनांक

30 OCT 2022

जिला कलक्टर,  
समस्त।

विषय:- विधायक कोष से जारी किये गये कार्यों में खादी ग्रामोद्योग भंडारों से मूल लागत का 30 प्रतिशत भागीदारी राशि के क्रम में।

संदर्भ:- श्री महेश कानूनगो, मंत्री, रूपाहेली खादी ग्रामोद्योग उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड, रूपाहेली, भीलवाड़ा का पत्र क्रमांक 124/2022-23 दिनांक 20.07.2022

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से सांसद/विधायक कोष से जारी फण्ड से खादी संस्थाओं को एजेंसी बनाये जाने पर मूल लागत का 30 प्रतिशत भागीदारी का नियम खादी ग्रामोद्योग पर लागू नहीं किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है।

उक्त प्रकरण में सामग्री आपूर्ति हेतु पंजीकृत संस्था/गैर-सरकारी स्वैच्छिक संस्था/पंजीकृत ट्रस्ट/पंजीकृत सहकारी संस्था को कार्यकारी संस्था बनाये जाने की स्थिति में मार्गदर्शिका के बिन्दु संख्या 3.8 के अनुसार 30 प्रतिशत भागीदारी राशि जमा की जाए अथवा नहीं की जावे के संबंध में विभाग को वित्त विभाग द्वारा परामर्श दिया गया है कि सामग्री आपूर्ति के उपापन हेतु राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 32 के अनुसार नियमानुसार कार्यवाही करावे।

यह वित्त विभाग की आई.डी. संख्या- 102205528 दिनांक 28.09.2022 से अनुमोदित है।

भवदीय,

(ओमकारेश्वर शर्मा)  
परि. निदे. एवं उप सचिव  
(एसएपी)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
2. श्री महेश कानूनगो, मंत्री, रूपाहेली खादी ग्रामोद्योग उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड, रूपाहेली, भीलवाड़ा, पता- 8, खत्री नगर, रेलवे पुलिया के नीचे, सांगानेर, जयपुर-302029 (राज.)।

परि. निदे. एवं उप सचिव  
(एसएपी)